प्रेषिका.

शिखा रानी जायसवाल,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कक्ष सं0–2,
कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, कानपुर नगर।

विषयः–'' मेरे द्वारा दिनॉक 16.08.2024 को बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत सेवा जोडने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र में त्रुटि सुधार एवम शासनादेश उ0प्र0शासन नियुक्ति अनुभाग–4/सं0 660/ दो–4–10–32(1)/2008 लखनऊ दिनॉकित 20 अप्रैल 2010 के प्रारूप प्रेषण के सम्बन्ध में।''

महोदय,

ससम्मान् निवेदन करना है कि पूर्व में मेरे द्वारा अपनी पूर्व सेवा को वर्तमान सेवा में जोडे जाने हेतु दिनॉक 16.08.2024 को एक पत्र प्रेषित किया गया था जिसका पत्रॉक संख्या 264 दिनॉक 16 अगस्त 2024 परिवार न्यायालय, कानपुर नगर है। उक्त पत्र में त्रुटिवश मेरे पूर्व विभाग का नाम बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार विभाग के स्थान पर बाल एवम विकास पुष्टाहार अंकित हो गया है। इसी प्रकार उक्त पत्र के पैरा नं0 3 के तीसरी पक्ति में दिनॉकित 12.06.2006 के स्थान पर 12.03.2006 अंकित हो गया है जिसे सुधार कर माननीय महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर,

दिनांक 31.08.2024

भवदीया,
Shikha Rani 31.08.24
(शिखा रानी जायसवाल)
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
कक्ष सं0–2 कानपुर नगर।

संलग्नक–

1– पूर्व सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा में जोडे जाने हेतु पत्र
2– शासनादेश उ0प्र0शासन नियुक्ति अनुभाग–4 /सं0 660/दो–4–10–32(1)/2008 लखनऊ दिनॉकित 20 अप्रैल 2010 का प्रारूप

परिवार न्यायालय, कानपुर–नगर।

पत्रांक सं0 294 दिनांक 31 अगस्त 2024 कानपुर नगर।
माननीय महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

31.08.24
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, कानपुर नगर।

प्रेषिका.
शिखा रानी जायसवाल,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कक्ष सं0–2,
कानपुर नगर।

सेवा में,
माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,
माननीय प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, कानपुर नगर।

विषयः—बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत सेवा दिनॉक 23.06.2006 से दिनॉक 19.05.2010 को वर्तमान न्यायिक सेवा में जोडने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में साद अवगत कराना है कि उ0प्र0शासन द्वारा 14/2024/सा–3–243/दस–2024/101(1)/2024 के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा का विज्ञापन 28.03.2005 के पूर्व जारी हो चुका था लेकिन पुरानी पेंशन योजन से अच्छादित नही थे क्योकि सेवा में 28.03.2005 के पश्चात नियुक्ति प्राप्त की थी। ऐसे सरकारी सेवकों को नयी पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेन्शन प्रणाली विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। चूँकि पुरानी पेन्शन योजना अधिक लाभकारी है। अतः अधोहस्ताक्षरी नवीन पेन्शन योजन के स्थान पर पुरानी पेन्शन योजना में आच्छादित होना चाहती है।

यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी ने उ0प्र0न्यायिक सेवा माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 223/ए आर (एस)/2010 दिनॉकित 13.05.2010 के अनुपालन में दिनॉक 20.05.2010 को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उत्तर प्रदेश शासन के अधीन बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ में विभाग के अधीन बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली गोरखपुर के पद पर कार्यरत रही थी। उ0प्र0शासन के अधीन बाल विकास एवम पुष्टाहार विभाग से सम्बन्धित विज्ञापन संख्या ए2/ई–1/2002 माह अक्टूबर 2002 मे प्रकाशित हुआ जो दिनॉक 28.03.2005 के पूर्व की है जिसका संलग्न संख्या 1 है।

उक्त सेवा में प्रार्थिनी द्वारा चयन होने के उपरांत दिनॉक 12.06.2006 को निदेशालय बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नियुक्ति पत्र पत्रॉक संख्या सी 548/बा0वि0परियोजना/सेवा–1/2006–2007 दिनॉकित 12.06.2006 जारी हुआ जो संलग्नक संख्या 2 है जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा दिनॉक 23.06.2006 को अपरान्ह में निदेशालय बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ में योगदान दिया गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा गोरखपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी जंगलकौडिया के पद पर दिनॉक 30.06.2006 को कार्य भार ग्रहण कर लिया

गया। तत्पश्चात आधारभूत प्रशिक्षण के उपरांत जनपद गोरखपुर में कार्य मुक्त होने तक बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करती रही। जिसका संलग्नक संख्या 3 ता 6 स्वप्रमाणित प्रति है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार विभाग द्वारा की अनुमति के उपरांत उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा 2006 का आवेदन किया था जो संलग्नक संख्या 07 से 10 है। उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा 2006 में चयनोपरांत विभाग की अनुमति से पत्रॉक संख्या सी334/जि0का0अधि0/स्था0–1/2010–11 दिनॉकित 19 मई 2010 के द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त होकर मा0 उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 223 ए आर (एस)/2010 दिनॉकित 13 मई .2010 के अनुपालन में अपर सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर के रूप में दिनॉक 20 मई 2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। दिनॉक 19 मई 2010 को बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली गोरखपुर के पद से औपचारिक रूप से कार्यमुक्ति प्राप्त की गयी थी जिसका संलग्नक संख्या 11 लगायत 17 है।

चूँकि बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद का विज्ञापन वर्ष 2002 में प्रकाशित हुआ था। अतः उक्त पद उत्तर प्रदेश शासन के पत्रॉक संख्या 14/2024/सा–3–243/ दस–2024/101(1)/2024 पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित है तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 न्यायिक सेवा में आवेदन किया गया है तथा बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार से कार्यमुक्त होकर उ0प्र0न्यायिक सेवा का पदभार ग्रहण किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान की गयी सेवा को जोड़ा जाना आवश्यक है जिससे अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त हो सके।

अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उ0प्र0शासन के समक्ष बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने की सेवा को उ0प्र0न्यायिक सेवा में कार्यरत रहने की सेवा में जोडे जाने की प्रार्थना के साथ पत्र प्रेषित किए जाने की कृपा करे।

सादर।

दिनांक 31.08.2024

भवदीया,
Shikha Rani 31.08.24
(शिखा रानी जायसवाल)
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
कक्ष सं0–2 कानपुर नगर।

शासनादेश संख्या–17 / 2019 / सा–3–346 / दस–2019–933 / 89, दिनांक 30 अप्रैल 2019 का संलग्नक

1– वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	शिखा रानी जायसवाल
(2) पदनाम एवम वेतनमान	अपर प्रधान न्यायाधीश, कानपुर नगर **(144840-194660)**
(3) कार्यालय / विभाग	परिवार न्यायालय, कानपुर नगर / न्याय विभाग
(4) जन्म तिथि	09.07.1978
(5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	20.05.2010
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवम दिनॉक	उ0प्र0शासन नियुक्ति अनुभाग–4 / सं0 660 / दो–4–10–32(1) / 2008 लखनऊ दिनॉकित 20 अप्रैल 2010
(8) अधिवर्षता की तिथि	31 जुलाई 2038
2– पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	शिखा रानी जायसवाल
(10) पदनाम एवम वेतनमान	5000–150–8000
(11) कार्यालय / विभाग का नाम	बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार
(12) नियुक्ति अधिकारी	निदेशक बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	23.06.2006
(14) कार्यभार छोडने की तिथि	19.05.2010
(15) क्या पूर्व की सेवाए पेन्शनेबल थी	नही
(16) क्या पूर्व में तदर्थ / कार्यप्रभारित / संविदा / सीजनल / नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हॉ, तो विवरण दिया जाये। (विनियमितीकरण आदेश की प्रति संलग्न की जाए)	नही
(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हॉ,तो विवरण दिया जाये।	नही
(18) **क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि** हॉ तो–	**नही**
(I) व्यवधानों की अवधि तिथि सहित	
(II) **व्यवधान का कारण**	
(III) क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है?	

(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक–इन–सर्विस रही है? यदि हॉ तो तत्सबंधी आदेश संलग्न किया जाये। नही

(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी **पर नही माना गया है? यदि हॉ तो अवधि इंगित की** जाये तथा तत्सबंधी आदेश संलग्न किया जाये। नही

हस्ताक्षर

Shikha Rani
31.08.24
शिखा रानी जायसवाल
अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, कानपुर नगर